न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 12/2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :— 2017/00206

उनवान

गोरधन पुत्र श्री हजारीलाल जाति मीना निवासी ग्राम उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

रामेश्वर उर्फ राम सिंह पुत्र हजारी जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर हाल निवासी ग्राम कोटीन तहसील बसवा जिला दौसा।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भुसावर दिनांक 07.02.2018 प्रकरण संख्या 40/17 उनवानी रामेश्वर बनाम गोरधन वगै0।

अभिभाषकगण :—

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री विजय सिंह झारौटिया उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 05.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय दिनांक 07.02.2018 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 द्वारा मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, इस आशय का पेश किया कि वादी/रैस्पो0 एवं प्रतिवादी/अपीलाण्ट तथा तरतीवी प्रतिवादी एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य हैं एवं प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर में 1/4 हिस्से का वादी/रैस्पो0, 1/4 हिस्से का मनोहरी पुत्र हजारी तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादी/अपीलाण्ट काबिज खातेदार एवं काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं तथा इसी प्रकार से राज्य सरकार को राज लगान अदा करते चले आ रहे हैं। वादी/रैस्पो0 एवं प्रतिवादी/अपीलाण्ट का सगा भाई मनोहरी लाविला औरत फौत हो गया है। जिसके नजदीकी वारिसान वादी/रैस्पो0, प्रतिवादी/अपीलाण्ट तथा तरतीवी प्रतिवादीगण स्व0 मनोहरी की छोडी हुई आराजी पर वहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादी/अपीलाण्ट स्व0 मनोहरी की छोडी हुई आराजी से वादी/रैस्पो0 को बेदखल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करने एवं अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन, वय, मुन्तकिल करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुए, मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई विचार नहीं किया कि स्व0 मनोहरी ने अपने हिस्से की आराजी का वसीयतनामा अपीलाण्ट गोरधन के नाम कर दिया था एवं अपीलाण्ट वसीयत के आधार पर मृतक मनोहरी के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण अपने नाम स्वीकृत कराने का अधिकारी था। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट गोरधन, रामेश्वर एवं मनोहरी द्वारा संयुक्त राय से क्रय की गई थी। रामेश्वर एवं मनोहरी का निधन हो चुका है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। रैस्पो0 ने रामेश्वर उर्फ राम सिंह बनकर जो दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है वह मैन्टेबिल नहीं था क्योंकि रामेश्वर व राम सिंह अलग–अलग व्यक्ति हैं और जिन्दा व मृत व्यक्ति एक नहीं हो सकते हैं। रैस्पो0 ने वाद में मात्र राम सिंह की हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं ना कि रामेश्वर उर्फ राम सिंह के नाम से। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू को भी नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है, जो बदस्तूर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट व रैस्पो0 एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। हजारीलाल के तीन ही पुत्र हैं। राम सिंह एवं रामेश्वर एक ही व्यक्ति का नाम है एवं स्व0 मनोहरी की छोडी हुई आराजी पर अपीलांट व रैस्पो0 वहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अपीलाण्ट बहुत ही चतुर किस्म का व्यक्ति है जो रैस्पो0 को मृतक मनोहरी की छोडी हुई आराजी से महरूम करते हुए मृतक मनोहरी की आराजी पर राजस्व कर्मचारियों से साज कर, स्वयं के नाम नामान्तकरण खुलवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुसार पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। प्रकरण में विवाद मुख्यतः मृतक मनोहरी के 1/4 हिस्से बाबत् है। अपीलाण्ट, मृतक मनोहरी के हिस्से की आराजी का स्वयं के पक्ष में वसीयतनामा बताते हुए, रैस्पो0 राम सिंह एवं रामेश्वर का अलग–अलग व्यक्ति होना कथन करते हैं। रैस्पो0 इसका खण्डन करते हैं। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत

राजस्थान सरकार
Web Copy - Not Official

2071–74 के खाता संख्या 68 में अंकित विवादित आराजी में गोरधन 1/2, मनोहरी,रामेश्वर हिस्सा बराबर 1/2 पिसरान हजारी साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं एवं नामान्तकरण संख्या 1682 निर्णय दिनांक 24.06.2016 से रामेश्वर पुत्र हजारी के स्थान पर रामेश्वर उर्फ राम सिंह पुत्र हजारी होना स्वीकार हुआ, का नोट अंकित है। परन्तु अपीलाण्ट/प्रतिवादी स्वयं के पक्ष में वसीयतनामा होना कथन करते है, वसीयतनामा का प्रभाव विस्तृत साक्ष्य विवेचना से वाद में तय होगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2071–74 अनुसार विवादित आराजी में रैस्पो0/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण रैस्पो0/वादी के हक में विचारणीय है एवं दौराने वाद, विवादित भूमि खुर्द–बुर्द ना हो अतः सुविधा संतुलन भी रैस्पो0/वादी के हक में सिद्ध होती है। दौराने वाद, विवादित भूमि का हस्तान्तरण होने पर, वाद जटिलता व बहुलता के कारण अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः दौराने वादकरण, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए, स्थगन न्यायोचित है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 07.02.2018 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official